CURRENT AFFAIRS UPSC-2022

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013, भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कानूनी अधिकारों में परिवर्तित हो गया है।

इसमें 'मध्याह्न भोजन योजना', 'एकीकृत बाल विकास सेवा योजना' और 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' जैसे कार्यक्रम शामिल है।

इस अधिनियम में मातृत्व संबंधी अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है।

'संसदीय विशेषाधिकार' क्या होते हैं?

संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges), संसद सदस्यों को, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियां होते हैं, ताकि वे "अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन" कर सकें।

संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से दो विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये हैं: संसद में वाक्-स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।

संविधान में विनिर्दिष्ट विशेषाधिकारों के अतिरिक्त, **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** में सदन या उसकी समिति की बैठक के दौरान तथा इसके आरंभ होने से चालीस दिन पूर्व और इसकी समाप्ति के चालीस दिन पश्चात सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत सदस्यों की गिरफ्तारी और उन्हें निरुद्ध किए जाने से स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है।

विशेषाधिकार हनन के खिलाफ प्रस्ताव:

सांसदों को प्राप्त किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना करने पर, इस अपराध को विशेषाधिकार हनन कहा जाता है, और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय होता है।

किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन के दोषी व्यक्ति के खिलाफ एक प्रस्ताव के रूप में एक सूचना प्रस्तुत की जा सकती है।

लोकसभा अध्यक्ष / राज्य सभा अध्यक्ष की भूमिका:

विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच के लिए, लोकसभा अध्यक्ष / राज्य सभा अध्यक्ष, पहला स्तर होता है।

लोकसभा अध्यक्ष / राज्यसभा अध्यक्ष, विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति के लिए संदर्भित कर सकते हैं।

यदि लोकसभा अध्यक्ष / राज्यसभा अध्यक्ष, संगत नियमों के तहत प्रस्ताव पर सहमति देते हैं, तो संबंधित सदस्य को प्रस्ताव के संदर्भ में एक संक्षिप्त वक्तव्य देने का अवसर दिया जाता है।

प्रयोज्यता:

संविधान में, उन सभी व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए गए है, जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं। इन सदस्यों में भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।

हालांकि, संसद का अभिन्न अंग होने बावजूद, राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के लिए संविधान के अनुच्छेद 361 में विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है।

भारत के महान्यायवादी

(Attorney General of India)

भारत के महान्यायवादी, केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और भारत के उच्चतम न्यायलय में इसके प्रधान अधिवक्ता होता हैं।

वह, संघीय कार्यकारिणी का एक भाग होता है।

नियुक्ति और पात्रता:

नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारित करता है।

वह उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए।
भारतीय नागरिक होना चाहिए।
भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में **पांच वर्ष** कार्य करने का अनुभव अथवा किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 साल पूरे कर चुका हो।
राष्ट्रपति के मतानुसार, वह न्यायायिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति होना चाहिए।

कार्य एवं शक्तियां:

भारत सरकार के मुख्य क़ानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:

1. वह भारत सरकार को विधि संबंधी निर्दिष्ट कानूनी मामलों में सलाह प्रदान करता है। वह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कर्तव्यों का पालन भी करता है।
2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उसे संसद की कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं है।
3. महान्यायवादी, उच्चत्तम न्यायालय में सभी मामलों (मुकदमों, अपीलों और अन्य कार्यवाही सहित) भारत सरकार की ओर से पेश होता है।
4. वह संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
5. अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह अथवा विश्लेषण नहीं कर सकते।
6. बिना भारत सकरार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकता तथा सरकार की अनुमति के बगैर किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है।
7. महान्यायवादी को दो महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल) तथा चार अपर महाधिवक्ताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

'विश्व बौद्धिक संपदा संगठन' (WIPO) क्या है?

'विश्व बौद्धिक संपदा संगठन' (World Intellectual Property Organization- WIPO) संयुक्त राष्ट्र की 17 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।

इसकी स्थापना, वर्ष 1967 में "रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए" की गई थी।
वर्तमान में, भारत सहित विश्व के 193 देश WIPO के सदस्य हैं।

'बौद्धिक संपदा' क्या होती है?

(Intellectual Property- IP)

यह संपत्तियों की एक श्रेणी होती है, जिसमें मानव बुद्धि द्वारा रचित अमूर्त कृतियाँ और मुख्यतः कॉपीराइट, पेटेंट तथा ट्रेडमार्क शामिल होते हैं।
इसमें, ट्रेड सीक्रेट, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्द्धा के खिलाफ अधिकार, जैसे अन्य प्रकार के अधिकार भी शामिल होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बारे में:

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना, **वर्ष 1957 में** संयुक्त राष्ट्र संघ भीतर 'वैश्विक शांति के लिए परमाणु' (Atoms for Peace) के रूप की गयी थी।

यह एक **अंतरराष्ट्रीय स्वायत संगठन** है।
IAEA, संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है।
इसका **मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया** में स्थित है।

प्रमुख कार्य:

1. IAEA, अपने सदस्य देशों तथा विभिन्न भागीदारों के साथ मिलकर परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, सुदृढ़ और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।
2. इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना है।

IAEA द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम:

1. कैंसर थेरेपी हेतु कार्रवाई कार्यक्रम (Program of Action for Cancer Therapy- PACT)
2. मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम
3. जल उपलब्धता संवर्धन परियोजना
4. नवोन्मेषी परमाणु रिएक्टरों और ईंधन चक्र पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना, 2000

ILO

'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO) की स्थापना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 'लीग ऑफ़ नेशंस' के लिए एक एजेंसी के रूप में की गयी थी।

इसे वर्ष 1919 में '**वर्साय की संधि**' (**Treaty of Versailles**) द्वारा स्थापित किया गया था।
'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन', वर्ष 1946 में 'संयुक्त राष्ट्र' (United Nations– UN) की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया।
वर्ष 1969 में इसके लिए '**नोबेल शांति पुरस्कार**' प्रदान किया गया।
यह संयुक्त राष्ट्र की ऐसी एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है, जिसमे सरकारें, नियोक्ता और श्रमिक एक साथ शामिल होते है।
मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट्स:

1. विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक (World Employment and Social Outlook)
2. वैश्विक वेतन रिपोर्ट (Global Wage Report)

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022

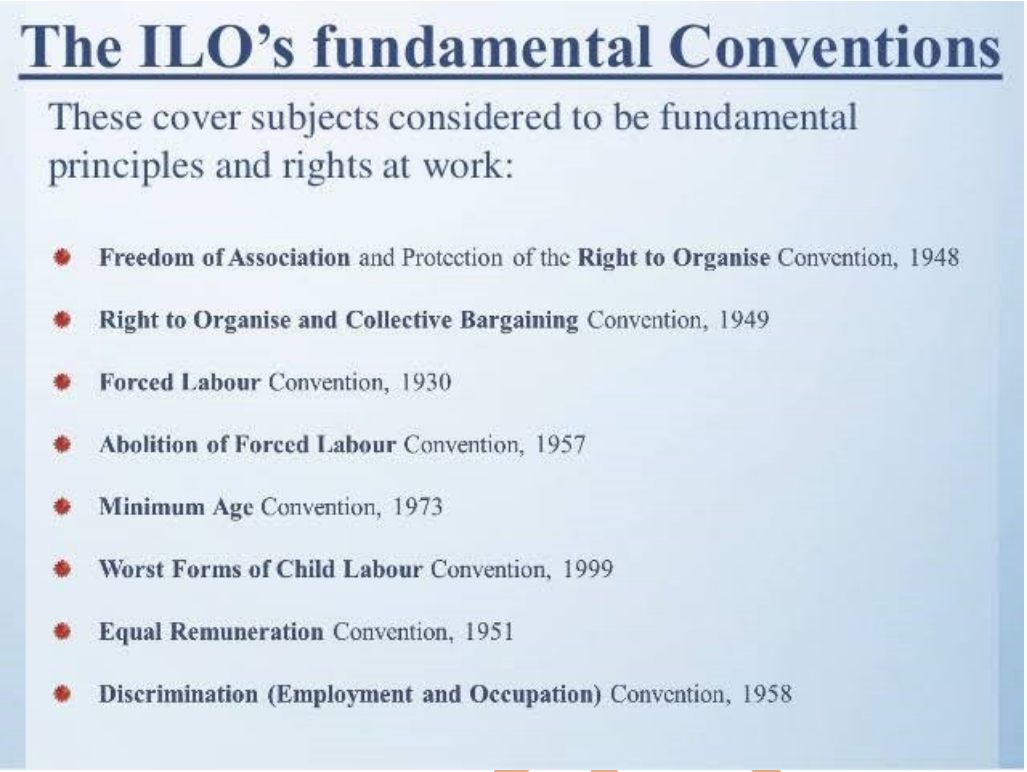

शंघाई सहयोग संगठन

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

SCO के गठन की घोषणा, 15 जून 2001 को शंघाई (चीन) में कजाकिस्तान गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज गणराज्य, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उजबेकिस्तान गणराज्य द्वारा की गयी थी।

इसकी स्थापना 'शंघाई-5' नामक संगठन के स्थान पर की गई थी।

जून 2002 में सेंटपीटर्सबर्ग में हुई SCO देशों के प्रमुखों की बैठक के दौरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए तथा यह 14 अप्रैल 2003 से प्रभावी हुआ।

SCO की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं।

शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुख लक्ष्य:

सदस्य राज्यों के मध्य परस्पर विश्वास और सद्भाव को मज़बूत करना।

राजनैतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।

संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना।

एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव-अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणाली की स्थापना करना।

SCO के सदस्य:

SCO में आठ सदस्य देश शामिल हैं – भारत गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना, किर्गिज़ गणराज्य, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022

चंद्रयान-2

(Chandrayaan-2)

संदर्भ:

चंद्रमा के ऊपर चक्कर काट रहे **चंद्रयान-2** को सूर्य की अत्यधिक गर्म सबसे बाह्य परत 'कोरोना' के विषय में नई जानकारियों के बारे में पता चला है। इनमे शामिल है:

1. सौर कोरोना में मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम और सिलिकॉन की प्रचुर मात्रा।
2. लगभग 100 सूक्ष्म सौर-लपटों (microflares) का प्रेक्षण किया गया, जिससे कोरोना-द्रव्यमान के गर्म होने के बारे में नई अंतर्दृष्टि मिलती है।

कोरोना की हीटिंग समस्या के कारण:

कोरोना से 'पराबैंगनी' किरणों तथा 'एक्स-रे' (X-rays) का उत्सर्जन होता है, और यह 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान पर आयनित (**ionised**) गैसों से निर्मित हुआ है।

1. इसके मात्र 1,000 मील नीचे स्थित सतह को 'फोटोस्फीयर' कहा जाता है, और इसका तापमान मात्र 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है।
2. तापमान में रहस्यमयी भिन्नता को कोरोना की हीटिंग समस्या या **'कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम'** (Coronal Heating Problem) कहा जाता है।

नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार, इस उच्च तापमान का कारण, सनस्पॉट (सूर्य की दृश्यमान छवियों में दिखाई देने वाले काले धब्बे) के ऊपर मौजूद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हो सकते हैं।

चंद्रयान-2 मिशन:

वर्ष 2019 में चंद्रमा के अँधेरे भाग पर 'हार्ड लैंडिंग' करने के बाद से 'चंद्रयान-2 मिशन' से संपर्क टूट गया था, किंतु यह अभी भी अपने ऑर्बिटर के रूप में सक्रिय है और चंद्रमा के ऊपर परिभ्रमण कर रहा है।

वैज्ञानिकों द्वारा, सूर्य का अध्ययन करने के लिए, चंद्रयान-2 पर लगे हुए **'सोलर एक्स-रे मॉनिटर' (XSM)** का इस्तेमाल किया गया है।

1. चंद्रयान-2 का मुख्य उद्देश्य, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट-लैंड करने और सतह पर रोबोटिक रोवर को संचालित करने की क्षमता का प्रदर्शन करना था।
2. इस मिशन में, एक ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल थे और चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए सभी वैज्ञानिक उपकरणों से लैस था।

अंटार्कटिक संधि

(Antarctic Treaty)

संदर्भ:

23 जून 2021 को 'अंटार्कटिक संधि' (Antarctic Treaty) के लागू होने (23 जून 1961) की 60 वीं वर्षगांठ मनाई गयी।

इस संधि का महत्व:

1. शीत युद्ध के दौरान, अंटार्कटिक में अपना हित रखने वाले 12 देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई यह संधि, किसी संपूर्ण महाद्वीप पर लागू होने वाली एकमात्र एकल संधि का उदाहरण है।
2. यह किसी अस्थाई आबादी वाले महाद्वीप के लिए **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था** की नींव भी है।

इस संधि पर एक अत्यंत भिन्न समय-काल पर हस्ताक्षर किए गए थे; क्या वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है?

हालांकि, 1950 के दशक की तुलना में 2020 के दशक में परिस्थितियां मौलिक

रूप से भिन्न हैं, फिर भी अंटार्कटिक संधि कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक जवाब देने में सक्षम है।
अंटार्कटिका, कुछ हद तक प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन के कारण काफी सुगम्य एवं सुलभ है।
इस महाद्वीप से मूल 12 देशों के अलावा कई अन्य देशों के वास्तविक हित जुड़ चुके हैं।
कुछ वैश्विक संसाधन, विशेषकर तेल, काफी दुर्लभ होते जा रहे हैं।
अंटार्कटिका के विषय में चीन की मंशा को लेकर भी अनिश्चितता है। चीन इस संधि में वर्ष 1983 में शामिल हुआ था और वर्ष 1985 में एक सलाहकार सदस्य बन गया।
परिणामस्वरूप, भविष्य में किसी समय अंटार्कटिक में खनन की संभावनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
इसलिए, 'अंटार्कटिक में खनन पर प्रतिबंधों' पर फिर से विचार करना अपरिहार्य प्रतीत होता है।

'अंटार्कटिक संधि' के बारे में:

अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये संरक्षित करने एवं असैन्यीकृत क्षेत्र बनाए रखने हेतु 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों द्वारा अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इन बारह मूल हस्ताक्षरकर्ता देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
यह संधि 1961 में लागू हुई और वर्तमान में इसमें 54 देश शामिल हैं। भारत, वर्ष 1983 में इस संधि का सदस्य बना था।
मुख्यालय: ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना।

इस संधि के सभी प्रयोजनों के लिए, अंटार्कटिका को **60 °S अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि** के रूप में परिभाषित किया गया है।

संधि के प्रमुख प्रावधान:

1. अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा (अनुच्छेद - I)।
2. अंटार्कटिका में वैज्ञानिक शोध की स्वतंत्रता और इस दिशा में सहयोग जारी रहेगा (अनुच्छेद-II)।
3. अंटार्कटिका से वैज्ञानिक प्रेक्षणों और परिणामों का आदान-प्रदान किया जाएगा और इन्हें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाएगा (अनुच्छेद – III)।
4. अनुच्छेद IV के द्वारा, क्षेत्रीय संप्रभुता को निष्प्रभावी रहेगी अर्थात् किसी देश द्वारा इस पर कोई नया दावा करने या मौजूदा दावे का विस्तार नहीं किया जाएगा।
5. इस संधि के द्वारा इस महाद्वीप पर किसी भी देश द्वारा किए जाने वाले दावेदारी संबंधी सभी विवादों पर रोक लगा दी गई।

अंटार्कटिक संधि प्रणाली:

अंटार्कटिक महाद्वीप को लेकर वर्षों से विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, लेकिन विभिन्न समझौतों और संधि के फ्रेमवर्क में विस्तार के माध्यम से अधिकाँश विवादों को हल किया गया है। इस संपूर्ण ढाँचे को अब **अंटार्कटिक संधि प्रणाली (Antarctic Treaty System)** के रूप में जाना जाता है।

अंटार्कटिक संधि प्रणाली, मुख्यतः चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौतों से बनी है:

1. 1959 की अंटार्कटिक संधि
2. अंटार्कटिक सील मछलियों के संरक्षण हेतु 1972 अभिसमय
3. अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर 1980 का अभिसमय
4. अंटार्कटिक संधि के लिये पर्यावरण संरक्षण पर 1991 का प्रोटोकॉल

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022

'रैंक चॉइस वोटिंग' (Ranked-Choice Voting)

यह क्या है?

इस मतदान प्रणाली में, मतदाताओं को केवल अपनी पहली पसंद का चयन करने के बजाय, वरीयता के आधार पर उम्मीदवारों को रैंकिंग करने का अवसर मिलता है।

मतदाताओं को अपनी पसंद के शीर्ष उम्मीदवारों को रैंक देने का विकल्प दिया जाता है- हालांकि मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को रैंक देना अनिवार्य नहीं है।

इस प्रक्रिया का लाभ एवं तर्क:

उम्मीदवारों की रैंकिंग प्रक्रिया कहीं ज्यादा जटिल है, किंतु इसके समर्थकों का मानना है कि यह निष्पक्ष-प्रणाली है और बहुमत की सामूहिक इच्छा को ज्यादा सटीक रूप से दर्शाती है।

इस प्रणाली की कार्य-विधि:

यदि किसी उम्मीदवार को, 'पहली पसंद' के मतों की गणना के पश्चात कुल मतों के '50 प्रतिशत से एक मत अधिक' (50% plus one) हासिल हो जाते हैं, तो वह उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाता है और चुनाव समाप्त हो जाता है।

किंतु, यदि किसी भी उम्मीदवार को **'50% प्लस वन'** मत हासिल नहीं होते हैं, तो मतगणना का दूसरा दौर शुरू होता है।

सबसे कम 'प्रथम वरीयता मत' हासिल करने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है, और उसके लिए प्राप्त 'दूसरी वरीयता' मतों को अन्य उम्मीदवारों के लिए पुनर्वितरित कर दिया जाता है।

मतों के पुनर्वितरण की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है, जब तक किसी उम्मीदवार को **'50% प्लस वन'** मत हासिल नहीं हो जाते।

इस प्रणाली का विश्व में अन्य किन जगहों पर प्रयोग किया जाता है?

अमेरिका में, अन्य 20 इलाकों में 'रैंक चॉइस वोटिंग' प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।

ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और माल्टा द्वारा इस प्रणाली का उपयोग 20वीं शताब्दी की शुरुआत से किया जाता रहा है। उत्तरी आयरलैंड, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड में भी इसे लागू किया गया है।

इसके पक्ष में दिए जा रहे तर्क:

1. इस प्रणाली में विजेता को मतों का अधिकाँश भाग प्राप्त होता है। आम रूप से प्रचलित 'सर्वाधिक मत पाने वाला विजयी' (most votes wins) प्रणाली में कुल मतों में सर्वाधिक मत हासिल करने वाले व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया जाता है, किंतु इसमें यह जरूरी नहीं होता है कि उसे बहुमत का समर्थन भी हासिल हो।
2. **अधिक संयत उम्मीदवार:** इस प्रणाली में इसकी कम संभावना होती है, कि किसी उग्र उम्मीदवार, जिसका एक सशक्त आधार हो, किंतु उसे व्यापक रूप से ज्यादा पसंद नहीं किया जाता हो, वह भीड़भाड़ वाले चुनाव में सफल हो सके।
3. **नकारात्मक प्रचार में कमी:** इसके लिए तर्क यह है, कि उम्मीदवारों के लिए उन्हें पसंद करने वाले बहुमत की आवश्यकता होती है।
4. मतदान के पश्चात मतदाता अच्छा महसूस कर सकते हैं। किसी एक उम्मीदवार को चुनने के मजबूरी के बजाय, मतदाता कम से कम अपनी वास्तविक पसंद के उम्मीदवार के लिए प्रथम वरीयता दे सकते हैं।

इसके विपक्ष में तर्क:

1. यह काफी जटिल प्रणाली है, और जटिलताओं से त्रुटियां हो सकती हैं।
2. कुछ लोगों का तर्क है, कि यह कम लोकतांत्रिक प्रणाली है क्योंकि इसमें 'एक

व्यक्ति, एक वोट' के विचार को महत्व नहीं दिया जाता है।

3. इससे खरीद-फरोख्त (horse-trading) को बढ़ावा मिल सकता है। 'रैंक चॉइस वोटिंग' भले ही मतदान को कम रणनीतिक बना सकती हो, लेकिन यह उम्मीदवारों को एक दूसरे के साथ सौदा करने का द्वार भी खोल सकती है। इसमें उम्मीदवार अपने मतदाताओं को दूसरी वरीयता के रूप में किसको चुनेगे, इस बारे में समझौता कर सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act- NFSA) 2013 का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताऐं:

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत कवरेज और पात्रता: TPDS के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की एक-समान हकदारी के साथ 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। हालांकि, मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना (AAY) में सम्मिलित निर्धनतम परिवारों की 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की हकदारी सुनिश्चित रखी जाएगी।

टीपीडीएस के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त मूल्य और उनमें संशोधन: इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न अर्थात् चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमश: 3/2/1 रूपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। तदुपरान्त इन मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ उचित रूप से जोड़ा जाएगा।

परिवारों की पहचान: टीपीडीएस के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कवरेज के दायरे में पात्र परिवारों की पहचान संबंधी कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा।

महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण सहायता: गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित पौषणिक मानदण्डों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे । 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च स्तर के पोषण संबंधी मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता: 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और मिड-डे मील (MDM) योजनाओं के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन का अधिकार होगा। 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किये गए है।

मातृत्व लाभ: गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6,000 रु. का मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

महिला सशक्तीकरण: राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा।

शिकायत निवारण तंत्र: जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

खाद्यान्न की रखरखाव व परिवहन लागत तथा उचित मूल्य की दुकान (FPS) व्यापारियों का लाभ:

राज्य के भीतर खाद्यान्न के परिवहन पर खर्च, इसके रखरखाव तथा उचित मूल्य की दुकान (FPS) व्यापारियों के लाभ को इस प्रयोजन हेतु तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, तथा उपरोक्त व्यय को पूरा करने के राज्यों केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु, पीडीएस, सामाजिक लेखापरीक्षा और सतर्कता समितियों के गठन से संबंधित रिकॉर्ड को दिखाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा भत्ता: उपयुक्त खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में, लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान किया गया है।

दंड अथवा जुर्माना: यदि कोई लोक सेवक या प्राधिकरण, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत सहायता प्रदान करने में विफल रहता है, तो प्रावधान के अनुसार राज्य खाद्य आयोग द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा।

यूनेस्को द्वारा 'ग्रेट बैरियर रीफ' की संस्थिति को अवनत करने पर विचार

(UNESCO to downgrade status of Great Barrier Reef)

संदर्भ:

हाल ही में, 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization- UNESCO) अर्थात यूनेस्को द्वारा 'ग्रेट बैरियर रीफ' (Great Barrier Reef) को **'संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल' (In Danger World Heritage Sites) सूची** में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

यूनेस्को ने इस निर्णय का कारण, 'ग्रेट बैरियर रीफ' में प्रवालों का नाटकीय रूप से क्षय होना बताया गया है।

वर्तमान में विवाद का विषय:

हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने यूनेस्को के इस कदम का विरोध किया है, और यह निर्णय, इस अनुप्रतीकात्मक स्थल (iconic site) के संस्थिति / दर्जे को लेकर यूनेस्को और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बीच जारी विवाद का एक हिस्सा है।

वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा पहली बार "संकटग्रस्त' / 'खतरे में' दर्जे पर बहस करने के बाद, कैनबरा ने प्रवाल-भित्ति के स्वास्थ्य में सुधार हेतु 3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (1 बिलियन पौंड; 2 बिलियन डॉलर) से अधिक व्यय करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
हालांकि, पिछले पांच वर्षों में रीफ (भित्ति) को कई विरंजन (Bleaching) घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में प्रवाल नष्ट हुए हैं।
वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रवाल-विरंजन की इन घटनाओं का मुख्य कारण, जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले वैश्विक उष्मन (ग्लोबल वार्मिंग) की वजह से समुद्र के तापमान में वृद्धि होना है।

ऑस्ट्रेलिया का कार्बन उत्सर्जन:

कोयला-जनित विद्युत् पर ऑस्ट्रेलिया की निर्भरता के कारण, यह इसको विश्व में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देशों में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में रूढ़िवादी सरकार द्वारा देश के जीवाश्म ईंधन उद्योगों का लगातार समर्थन किया जाता रहा है, इसके लिए सरकार, उत्सर्जन पर कड़ी कार्यवाही करने से रोजगार पर असर पड़ने का तर्क देती रही है।

'संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल' क्या हैं?

'संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल' (In Danger World Heritage Sites) सूची, 1972

के **'विश्व विरासत अभिसमय' (World Heritage Convention) के अनुच्छेद 11 (4)** के अनुसार तैयार की जाती है।

उद्देश्य: इस सूची को तैयार करने का उद्देश्य, किसी संपत्ति को जिन 'विशेषताओं' के लिए इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, उन 'विशेषताओं' लिए संकट / खतरा उत्पन्न करने वाली स्थितियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सूचित करना तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने को प्रोत्साहित करना है।

मानदंड:

किसी 'विश्व धरोहर संपत्ति' की मौजूदा स्थिति को निर्धारित सूचीबद्ध मानदंडों में से किसी एक के भी अनुरूप पाए जाने पर, विश्व विरासत समिति (World Heritage Committee) द्वारा उस संपत्ति को **'संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल' सूची** में दर्ज कर सकती है।

'संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल'.... https://whc.unesco.org/en/danger/

निहितार्थ:

1. किसी संपत्ति को 'संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल' सूची में दर्ज करने पर 'विश्व धरोहर समिति', विश्व धरोहर कोष (World Heritage Fund) से 'संकटग्रस्त संपत्ति' को तत्काल सहायता आवंटित कर सकती है।
2. किसी 'विश्व धरोहर स्थल' को इस सूची में शामिल करना, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इन स्थितियों के प्रति सचेत करता है, और यह आशा की जाती है कि वह इन संकटग्रस्त स्थलों को बचाने के प्रयासों में सहायता करेगा।
3. सूची में शामिल किए जाने के बाद, 'विश्व धरोहर समिति' द्वारा, संबंधित देश के परामर्श से, सुधारात्मक उपायों के लिए एक कार्यक्रम तैयार करके उसे लागू किया जाता है, और फिर इस स्थल की स्थिति पर निगरानी की जाती है।

'पारिवारिक वानिकी' क्या है?

'पारिवारिक वानिकी' (Familial Forestry) का तात्पर्य, वृक्षों और पर्यावरण की देखभाल को परिवार में सौंप देना है, जिससे वृक्ष, परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाते हैं।

परिवार को समाज की आधारशिला बनाने वाली यह अवधारणा किसी भी सामाजिक अभियान की सफलता सुनिश्चित करती है।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय' (UNCCD) के बारे में:

UNCCD की स्थापना वर्ष 1994 में की गयी थी।

यह, पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से संबद्ध करने वाला, क़ानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतरराष्ट्रीय समझौता है।

यह, रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 के अंतर्गत प्रत्यक्ष सिफारिशों के अंतर्गत स्थापित एकमात्र अभिसमय है।

फोकस क्षेत्र: UNCCD, सर्वाधिक संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र और मानव आबादी वाले, विशेष रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिसे शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है।

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग

(J&K Delimitation Commission)

संदर्भ:

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए, केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का परिसीमन करना आवश्यक होगा।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022

परिसीमन की आवश्यकता:

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल 6 मार्च को, केंद्रशासित प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए **जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग** का गठन किया गया था।

ज्ञात हो कि, 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम', 2019 द्वारा राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था।

'परिसीमन' क्या होता है?

'परिसीमन' (Delimitation) का शाब्दिक अर्थ, 'विधायी निकाय वाले किसी राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण प्रक्रिया' होता है।

'परिसीमन प्रक्रिया' का निष्पादन:

परिसीमन प्रक्रिया, एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग द्वारा संपन्न की जाती है। इस आयोग को औपचारिक रूप से परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) या सीमा आयोग (Boundary Commission) कहा जाता है।

परिसीमन आयोग के आदेशों को 'क़ानून के समान' शक्तियां प्राप्त होती है, और इन्हें किसी भी अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।

आयोग की संरचना:

'परिसीमन आयोग अधिनियम', 2002 के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग में तीन सदस्य होते हैं: जिनमे अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तथा पदेन सदस्य के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा इनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते है।

संवैधानिक प्रावधान:

1. **संविधान के अनुच्छेद 82** के अंतर्गत, प्रत्येक जनगणना के पश्चात् भारत की संसद द्वारा एक 'परिसीमन अधिनियम' क़ानून बनाया जाता है।
2. **अनुच्छेद 170 के तहत**, प्रत्येक जनगणना के बाद, परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को भी क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

हरित हाइड्रोजन / ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है?

नवीकरणीय / अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके 'विद्युत अपघटन' (Electrolysis) द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को 'हरित हाइड्रोजन' (Green Hydrogen) के रूप में जाना जाता है। इसमें कार्बन का कोई अंश नहीं होता है।

ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व:

भारत के लिए अपने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (Nationally Determined Contribution- INDC) लक्ष्यों को पूरा करने तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 'ग्रीन हाइड्रोजन' ऊर्जा काफी महत्वपूर्ण है।

ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है, जो भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा के अंतराल को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

गतिशीलता के संदर्भ में, शहरों के भीतर या राज्यों के मध्य लंबी दूरी की यात्रा या माल ढुलाई के लिए, रेलवे, बड़े जहाजों, बसों या ट्रकों आदि में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है।

ग्रीन हाइड्रोजन के अनुप्रयोग:

1. अमोनिया और मेथनॉल जैसे हरित रसायनों का उपयोग सीधे मौजूदा ज़रूरतों जैसे

उर्वरक, गतिशीलता, बिजली, रसायन, शिपिंग आदि में किया जा सकता है।
2. व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए CGD नेटवर्क में 10 प्रतिशत तक ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण को अपनाया जा सकता है।

लाभ:

यह एक स्वच्छ दहन करने वाला अणु है, जो लोहा और इस्पात, रसायन और परिवहन जैसे क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने में सक्षम है।
ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण के लिए खनिजों और दुर्लभ-पृथ्वी तत्व-आधारित बैटरी पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा।
जिस अक्षय ऊर्जा को ग्रिड द्वारा संग्रहीत या उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसका हाइड्रोजन-उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है

केरल की सिल्वरलाइन परियोजना

(Kerala's SilverLine project)

यह केरल की प्रमुख 'सेमी हाई-स्पीड' रेलवे परियोजना (**semi high-speed railway project**) है, और इसका उद्देश्य राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है।

यह परियोजना केरल के दक्षिणी छोर तथा राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासरगोड के उत्तरी छोर से जोड़ती है।
यह लाइन लगभग 529.45 किलोमीटर लंबी होगी, और राज्य के 11 जिलों से होकर गुजरेगी।
यह परियोजना केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (**KRDCL**) द्वारा निष्पादित की जा रही है। KRDCL अथवा के- रेल (K-Rail), केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय के मध्य एक संयुक्त उद्यम है।

लोक लेखा समिति:

(PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE-PAC)

1. लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं।
2. सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
3. समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। वर्ष 1967 से, समिति के अध्यक्ष का चयन, विपक्ष के सदस्यों में से किया जाता है।
4. इसका मुख्य कार्य नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट को संसद में रखे जाने के बाद इसकी जांच करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

लोक लेखा समिति, सदन की समितियों में सबसे पुरानी समिति है। पहली बार लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 1921 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के मद्देनजर किया गया था।

लोक लेखा समिति की सीमाएं:

1. मोटे तौर पर, यह नीतिगत सवालों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
2. यह व्यय होने के बाद ही, इन पर निगरानी कर सकती है। इसमें व्ययों को सीमित करने संबंधी कोई शक्ति नहीं होती है।
3. यह दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
4. समिति द्वारा की जाने वाली अनुशंसाएं मात्र परामर्शी होती है। मंत्रालयों द्वारा इन सिफारिशों की उपेक्षा भी की जा सकती है।
5. इसके लिए विभागों द्वारा व्यय पर रोक लगाने की शक्ति नहीं होती है।
6. यह मात्र एक कार्यकारी निकाय है और इसे कोई आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है। इसके निष्कर्षों पर केवल संसद ही अंतिम निर्णय ले सकती है।

टीबी (TB)

टीबी या तपेदिक / क्षय रोग, बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर्क्युलोसिस (Bacillus Mycobacterium tuberculosis) नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है।

यह आमतौर पर फेफड़ों (फुफ्फुसीय टीबी- pulmonary TB) को प्रभावित करता है, किंतु यह इसके अलावा मानव-शरीर के अन्य अंगो को भी प्रभावित कर सकता है।
यह बीमारी, फुफ्फुसीय टीबी से पीड़ित व्यक्ति की खांसी या किसी अन्य माध्यम से वायु में बैक्टीरिया पहुँचने से फैलती है।

भारत द्वारा किए जा रहे प्रयास:

1. भारत, टीबी को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को आक्रामक ढंग से लागू कर रहा है।
2. भारत में, पिछले कुछ वर्षों में पांच करोड़ लोगों का उपचार किया गया है।
3. भारत, राष्ट्रीय स्तर पर टीबी निवारक उपचार (TB preventive treatment– TPT) और गतिविधियों में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
4. भारत का प्रयास, संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय बैठक (UN High-Level Meeting– UNHLM) के लक्ष्यों करना है, जिसके तहत शेष 18 महीनों में, वैश्विक स्तर पर 4 करोड़ व्यक्तियों का टीबी उपचार तथा 3 करोड़ व्यक्तियों को टीबी निवारक उपचार प्रदान किया जाना है।
5. वर्ष 2020 में गठित राज्यों और जिलों का उप-राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम: इस पहल में विभिन्न श्रेणियों के तहत 'टीबी मुक्त दर्जे की दिशा में प्रगति' पर जिलों/राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों को चिन्हित किया जाता है, जिसे टीबी की घटनाओं में गिरावट के हिसाब से मापा जाता है।

भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020:

1. वर्ष 2019 में लगभग 04 लाख टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2018 की तुलना में टीबी अधिसूचना में यह 14% की वृद्धि है।
2. वर्ष 2017 में टीबी रोगियों के 10 लाख से अधिक गैर-अधिसूचित मामले थे, जो घटकर 9 लाख हो गए है।
3. निजी क्षेत्र में 35% की वृद्धि के साथ 78 लाख टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया है।
4. वर्ष 2018 में 6% की तुलना में 2019 में टीबी से ग्रसित बच्चों का अनुपात बढ़कर 8% हो गया है।
5. सभी अधिसूचित टीबी रोगियों की एचआईवी जांच, वर्ष 2018 में 67% से बढ़कर 2019 में 81% हो गई है।
6. उपचार सेवाओं के विस्तार से अधिसूचित रोगियों की उपचार सफलता दर में 12% सुधार हुआ है। 2018 में 69% की तुलना में 2019 के लिए यह दर 81% है।

खाद्य एवं कृषि संगठन

(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION- FAO)

'खाद्य एवं कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organization- FAO) सम्मेलन के 42वें सत्र का आयोजन किया गया।

यह पहली बार है, जब FAO सम्मलेन वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया है।

सम्मेलन के बारे में:

1. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) सम्मेलन प्रति दो वर्ष में आयोजित होता है और यह FAO का सर्वोच्च शासी निकाय (Governing Body) है।
2. सम्मलेन में, संगठन की नीतियों का निर्धारण, बजट के लिए मंजूरी और खाद्य एवं कृषि मुद्दों पर सदस्य देशों के लिए सिफारिशें देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं।

FAO की रणनीतिक रूपरेखा 2022-2031:

इस वर्ष के सम्मेलन में FAO के सदस्य देशों द्वारा **'रणनीतिक रूपरेखा' (Strategic Framework) 2022-2031** अपनाई जाएगी।

इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते हुए, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन के लिए, कृषि-खाद्य प्रणालियों को अधिक कुशल, समावेशी, लचीला, और संवहनीय प्रकार में परिवर्तन करने के माध्यम से **सतत विकास एजेंडा 2030** में सहयोग करना है।
ये चार बेहतर (Four Betters) उद्देश्य, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेषकर SDG 1 (निर्धनता-उन्मूलन), SDG 2 (भुखमरी-उन्मूलन), और SDG 10 (असमानता में कमी) को हासिल करने में सहयोग करने हेतु, FAO द्वारा लागू किये जाने वाले कार्य संयोजन-सिद्धांतो को अभिवयक्त करते हैं।

खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में

यह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी-उन्मूलन हेतु किये जाने वाले प्रयासों का नेतृत्व करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

मुख्यालय: रोम, इटली
स्थापना: 16 अक्टूबर 1945
FAO का लक्ष्य: खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, तथा लोगों तक सक्रिय, स्वस्थ जीवन जीने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच सुनिश्चित कराना है।

महत्वपूर्ण रिपोर्ट और कार्यक्रम (संक्षिप्त विवरण):

1. खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट
2. प्रति दो वर्ष में, वैश्विक वन-स्थिति का प्रकाशन
3. वर्ष 1961 में FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खाद्य मानकों तथा दिशानिर्देशों को विकसित करने हेतु कोडेक्स एलेमेंट्रिस आयोग (Codex Alimentarius Commission) का गठन
4. वर्ष 1996 में, FAO ने विश्व खाद्य सम्मलेन (World Food Summit) का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन रोम घोषणा (Rome Declaration) पर हस्ताक्षर किये गए, जिसके तहत वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित लोगों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
5. वर्ष 1997 में, FAO ने भूख से लड़ने में सहायता प्राप्त करने हेतु टेलीफूड, संगीत, खेल कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों का एक अभियान शुरू किया।
6. वर्ष 1999 में FAO सद्भावना राजदूत कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लगभग 1 अरब लोग भरपूर खाद्य सामग्री होने के दौरान भी भूख और कुपोषण से पीड़ित व्यक्तियों की ओर जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित करना है।
7. वर्ष 2004 में भोजन के अधिकार संबंधी दिशा-निर्देशों को अपनाया गया, जिसके तहत राष्ट्रों के लिए 'भोजन के अधिकार' संबंधी उनके दायित्वों को पूरा करने हेतु मार्गदर्शन दिए गया।
8. FAO ने 1952 में 'इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन' (International Plant Protection Convention – IPPC) गठित किया।
9. 29 जून 2004 को 'खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसधानों पर अन्तराष्ट्रीय संधि' (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, also called Plant Treaty– ITPGRFA), जिसे 'सीड ट्रीटी' (Seed Treaty) भी कहा जाता है, लागू की गयी।
10. दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान 2002 में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (Globally Important Agricultural Heritage Systems– GIAHS) भागीदारी पहल की अवधारणा तैयार की गई थी।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022

'मरुस्थलीकरण, भू-क्षरण तथा सूखा' पर उच्च स्तरीय वार्ता

(High-Level Dialogue on Desertification, Land Degradation and Drought– DLDD)

संदर्भ:

हाल ही में, भू-क्षरण को रोकने हेतु किए जा रहे प्रयासों की प्रगति का आकलन करने तथा अच्छी जमीनों का जीर्णोद्धार करने तथा उन्हें पूर्व रूप में लाने के लिए वैश्विक प्रयासों पर आगे का रास्ता तय करने हेतु 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय' (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) के सहयोग से 'मरुस्थलीकरण, भू क्षरण और सूखा (Desertification, Land Degradation and Drought – DLDD) पर उच्च-स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय' (UNCCD) के 'कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़' अर्थात 'पक्षकारों के सम्मेलन' के 14 वें सत्र के अध्यक्ष हैं।

स्वस्थ भूमि की आवश्यकता:

भूमि हमारे समाज की नींव है तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, भूखमरी-उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन और सस्ती ऊर्जा के लिए आधारशिला है। यह, सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 की सफलता को आधार प्रदान करती है।

चुनौतियां:

- विश्व स्तर पर, पृथ्वी के स्थल क्षेत्र का पांचवां भाग – 2 बिलियन हेक्टेयर से अधिक – निम्नीकृत है, और इसमें कुल कृषि भूमि का आधे से अधिक भाग शामिल है।
- यदि हम मृदा प्रबंधन की पद्धतियों में बदलाव नहीं करते हैं तो वर्ष 2050 तक 90% से अधिक भूमि का निम्नीकरण हो सकता है।
- भूमि-क्षरण से पृथ्वी के स्थल भाग क्षेत्र का पांचवा भाग और 2 अरब लोगों अर्थात लगभग 40% वैश्विक आबादी की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- भूमि-क्षरण की वजह से जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता-क्षति की गति तीव्र होती है, और यह सूखा, वनाग्नि, अनैच्छिक प्रवास और जूनोटिक संक्रामक रोगों के उद्भव में महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के बारे में:

- UNCCD की स्थापना वर्ष 1994 में की गयी थी।
- यह, पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से संबद्ध करने वाला, क़ानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतरराष्ट्रीय समझौता है।
- यह, रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 के अंतर्गत प्रत्यक्ष सिफारिशों के अंतर्गत स्थापित एकमात्र अभिसमय है।
- फोकस क्षेत्र: UNCCD, सर्वाधिक संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र और मानव आबादी वाले, विशेष रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिसे शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है।

तुलु भाषा का इतिहास और इसके लिए राजभाषा के दर्जे की मांग

संदर्भ:

तुलु भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने, तथा कर्नाटक और केरल में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग जोर पकडती जा रही है।

तुलु भाषा के बारे में:

तुलु (Tulu) एक द्रविड़ भाषा है, जिसे मुख्यतः कर्नाटक के दो तटीय जिलों **दक्षिण कन्नड़ तथा उडुपी**, और **केरल के कासरगोड जिले** में बोला जाता है।

वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तुलु भाषी लोगों की संख्या 18,46,427 है।

'रॉबर्ट काल्डवेल' (1814-1891) ने अपनी पुस्तक 'ए कम्पेरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविड़ियन या साउथ-इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज' में तुलु भाषा को "द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से एक" बताया है।

तुलु भाषा में एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा पाई जाती है, जिसमे पद्दाना (Paddana) जैसे लोक-गीत और यक्षगान जैसे पारंपरिक लोक रंगमंच रूप शामिल हैं।

संविधान की आठवीं अनुसूची:

भारतीय संविधान के भाग XVII में **अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351** तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।

आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

1. अनुच्छेद 344: अनुच्छेद 344(1) में संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
2. अनुच्छेद 351: इसके तहत, हिंदी भाषा के विकास हेतु इसका प्रसार करने के संबंध में प्रावधान किये गए हैं, जिससे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

वर्तमान में, **संविधान की आठवीं अनुसूची में**, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, कुल **22 भाषाएँ** शामिल है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)

अधिनियम की प्रमुख विशेषताऐं:

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत कवरेज और पात्रता: TPDS के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की एक-समान हकदारी के साथ 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। हालांकि, मौजूदा **अंत्योदय अन्न योजना (AAY)** में सम्मिलित निर्धनतम परिवारों की 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की हकदारी सुनिश्चित रखी जाएगी।

टीपीडीएस के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त मूल्य और उनमें संशोधन: इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न अर्थात् चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमश: 3/2/1 रूपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। तदुपरान्त इन मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ उचित रूप से जोड़ा जाएगा।

परिवारों की पहचान: टीपीडीएस के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कवरेज के दायरे में पात्र परिवारों की पहचान संबंधी कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा।

महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण सहायता: गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित पौषणिक मानदण्डों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे । 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च स्तर के पोषण संबंधी मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता: 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और मिड-डे मील (MDM) योजनाओं के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन का अधिकार होगा। 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किये गए है।

मातृत्व लाभ: गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6,000 रु. का मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

महिला सशक्तीकरण: राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा।

शिकायत निवारण तंत्र: जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

खाद्यान्न की रखरखाव व परिवहन लागत तथा उचित मूल्य की दुकान (FPS) व्यापारियों का लाभ: राज्य के भीतर खाद्यान्न के परिवहन पर खर्च, इसके रखरखाव तथा उचित मूल्य की दुकान (FPS) व्यापारियों के लाभ को इस प्रयोजन हेतु तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, तथा उपरोक्त व्यय को पूरा करने के राज्यों केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु, पीडीएस, सामाजिक लेखापरीक्षा और सतर्कता समितियों के गठन से संबंधित रिकॉर्ड को दिखाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा भत्ता: उपयुक्त खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में, लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान किया गया है।

दंड अथवा जुर्माना: यदि कोई लोक सेवक या प्राधिकरण, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत सहायता प्रदान करने में विफल रहता है, तो प्रावधान के अनुसार राज्य खाद्य आयोग द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO):

(North Atlantic Treaty Organization)

- यह एक '**अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन**' है।
- 'वाशिंगटन संधि' द्वारा स्थापित किया गया था।
- इस संधि पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे।
- मुख्यालय – ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
- एलाइड कमांड ऑपरेशंस मुख्यालय' – मॉन्स (Mons), बेल्जियम।

संरचना:

- नाटो की स्थापना के बाद से, गठबंधन में नए सदस्य देश शामिल होते रहें है।
- शुरुआत में, नाटो गठबंधन में 12 राष्ट्र शामिल थे, बाद में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है।
- नाटो गठबंधन में शामिल होने वाला सबसे अंतिम देश 'उत्तरी मकदूनिया' था, उसे 27 मार्च 2020 को शामिल किया गया था।
- नाटो की सदस्यता, 'इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने में योगदान करने में सक्षम किसी भी 'यूरोपीय राष्ट्र' के लिए खुली है'।

'संसदीय विशेषाधिकार' क्या होते हैं?

संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges), संसद सदस्यों को, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, प्राप्त कुछ अधिकार और

उन्मुक्तियां होते हैं, ताकि वे "अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन" कर सकें।

संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से दो विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये हैं: संसद में वाक्-स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।
संविधान में विनिर्दिष्ट विशेषाधिकारों के अतिरिक्त, **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** में सदन या उसकी समिति की बैठक के दौरान तथा इसके आरंभ होने से चालीस दिन पूर्व और इसकी समाप्ति के चालीस दिन पश्चात सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत सदस्यों की गिरफ्तारी और उन्हें निरुद्ध किए जाने से स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है।

विशेषाधिकार हनन के खिलाफ प्रस्ताव:

सांसदों को प्राप्त किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना करने पर, इस अपराध को विशेषाधिकार हनन कहा जाता है, और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय होता है।
किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन के दोषी व्यक्ति के खिलाफ एक प्रस्ताव के रूप में एक सूचना प्रस्तुत की जा सकती है।

लोकसभा अध्यक्ष / राज्य सभा अध्यक्ष की भूमिका:

विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच के लिए, लोकसभा अध्यक्ष / राज्य सभा अध्यक्ष, पहला स्तर होता है।

लोकसभा अध्यक्ष / राज्यसभा अध्यक्ष, विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति के लिए संदर्भित कर सकते हैं।
यदि लोकसभा अध्यक्ष / राज्यसभा अध्यक्ष, संगत नियमों के तहत प्रस्ताव पर सहमति देते हैं, तो संबंधित सदस्य को प्रस्ताव के संदर्भ में एक संक्षिप्त वक्तव्य देने का अवसर दिया जाता है।

प्रयोज्यता:

संविधान में, उन सभी व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए गए है, जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं। इन सदस्यों में भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।
हालांकि, संसद का अभिन्न अंग होने बावजूद, राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के लिए संविधान के अनुच्छेद 361 में विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है।

भारतीय निर्वाचन आयोग:

'भारत निर्वाचन आयोग' (Election commission of India- ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण तथा निर्वाचक मतदाता सूची तैयार कराने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।
संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना , 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग की संरचना

संविधान में चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित उपबंध किये गए हैं:

1. निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है

2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी
3. जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
4. राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझने पर, निर्वाचन आयोग की सलाह से प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है।
5. निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (EC):

यद्यपि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, फिर भी उनकी शक्तियाँ अन्य निर्वाचन आयुक्तों के सामान ही होती हैं। आयोग के सभी मामले, सदस्यों के बीच बहुमत से तय किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य दोनो निर्वाचन आयुक्तों को एक-समान वेतन, भत्ते व अन्य अनुलाभ प्राप्त होते हैं।

पदावधि:

मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल **छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक**, जो भी पहले हो, तक होता है। वे राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं।

पदत्याग:

निर्वाचन आयुक्त, किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।

सीमाएं:

संविधान में, निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कोई योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की गई है।
संविधान में, सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा, दोबारा किसी भी पद पर की जाने वाली नियुक्ति से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणापत्र

सतत विकास लक्ष्यों (**SDGs**) के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए, 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के हेतु एक आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र / रूपरेखा (A Model Panchayat Citizens Charter) जारी किया गया है।

इसे पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान' (National Institute of Rural Development & Panchayati Raj-NIRDPR) के सहयोग से तैयार किया गया है।

महत्व:

यह नागरिक घोषणा पत्र सेवाओं डिजाइनिंग एवं सुपुर्दगी करते हुए स्थाई विकास हेतु सार्वजनिक सेवाओं का पारदर्शी एवं प्रभावी वितरण सुनिश्चित करेगा और विविध विचारों को सम्मिलित करके स्थानीय सरकारों की समावेशिता और जवाबदेही को बढ़ाएगा।

आवश्यकता:

पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का तीसरा स्तर है और भारतीय जनता की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी के लिए सरकार के साथ संपर्क का प्रथम स्तर है।
पंचायतें, **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G** में यथा विहित बुनियादी सेवाओं विशेषकर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता,

शिक्षा, पोषण, पेयजल की सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायी हैं।

नागरिक घोषणा पत्र के बारे में:

नागरिक घोषणा पत्र (Citizens' Charters) पहल, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ लेन-देने करने के दौरान, नागरिकों को दिन-ब-दिन होने वाली समस्याओं का हल खोजने का एक जबाव है।

नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा, सेवा प्रदाता और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास सुनिश्चित करती है।

इस अवधारणा को पहली बार 1991 में यूनाइटेड किंगडम में प्रस्तुत और कार्यान्वित किया गया था।

मूल रूप से तैयार किए गए 'सिटीजन चार्टर' आंदोलन में छह सिद्धांत शामिल किए गए थे:

1. **गुणवत्ता:** सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
2. **विकल्प:** जहाँ भी संभव हो।
3. **मानक:** निर्दिष्ट करें कि क्या अपेक्षा की जाए और मानकों को पूरा न करने पर क्या प्रतिक्रिया की जाए।
4. **मूल्य:** करदाताओं के पैसों का मूल्य समझा जाए।
5. **जवाबदेही:** व्यक्ति और संगठन।
6. **पारदर्शिता।**

भारत में सिटीजन चार्टर की अवधारणा:

सिटीजन चार्टर की अवधारणा को पहली बार, मई 1997 में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित 'विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन' में अपनाया गया था।

आठवां वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन

संदर्भ:

3-7 मई 2020 को आठवें 'अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन' (International Nitrogen Initiative Conference- INI2020), का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया जाना निर्धारित था। किंतु, महामारी के कारण इसे पिछले साल रद्द कर दिया गया था और हाल ही में, इसे आभासी-प्रारूप में आयोजित किया गया।

'अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन' के बारे में:

इस पहल की स्थापना, 'पर्यावरण समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति' (Scientific Committee on Problems of the Environment – SCOPE) और 'अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल-जैवमंडल कार्यक्रम' (International Geosphere-Biosphere Program – IGBP) की प्रायोजकता में वर्ष 2003 में की गई थी।

यह एक त्रैवार्षिक आयोजन है, जिसमें कृषि, उद्योग, यातायात, मृदा, जल और वायु में प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों संबंधी शोधों में लगे संपूर्ण विश्व से वैज्ञानिक भाग लेते हैं।

उद्देश्य: प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन के **भविष्यत समग्र प्रबंधन** में सुधार हेतु नीति निर्माताओं और परिणामों, विचारों और दृष्टिकोण संबंधी अन्य प्रासंगिक हितधारकों के बीच जानकारी और अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना।

यह कार्यक्रम, वर्तमान में 'फ्यूचर अर्थ' नामक संगठन का एक सतत भागीदार है।

एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन:

नाइट्रोजन, वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तथा अधिकांश पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण बृहत् पोषक (Macronutrient) तत्व होती है।

पृथ्वी पर के वायुमंडल में पाई जाने वाली शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% से कुछ अधिक होती है। किंतु यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन, या डाईनाइट्रोजन (dinitrogen) अक्रियाशील होती है, और पादपों द्वारा इसका सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है।

इसलिए नाइट्रोजन स्थिर करने वाले राइजोबिया (rhizobia) जैसे जीवाणु, पौधों और मृदा के लिए 'अमोनिया' और 'नाइट्रेट' जैसे प्रतिक्रियाशील यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन-स्थिर करने वाले जीवाणु, फलीदार पौधों के साथ सहजीवी रूप से रहते हैं।

नाइट्रोजन, पोषक तत्व से प्रदूषक में किस प्रकार बदल जाता है और यह स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है?

कृषि-भूमि से निस्सृत होने वाले नाइट्रोजन यौगिकों ने दुनिया भर में **जल-प्रदूषण की समस्या** उत्पन्न होती है, जबकि **उद्योग, कृषि और वाहनों से होने वाले नाइट्रोजन उत्सर्जन** का **वायु प्रदूषण** में बड़ा योगदान होता है।

मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन की 80% से अधिक मात्रा का मानव द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। जबकि चार बटा पांच भाग से अधिक नाइट्रोजन का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। मांसाहारी भोजन के माध्यम से केवल छह प्रतिशत नाइट्रोजन ही मनुष्यों तक पहुंचती है, जबकि शाकाहारी भोजन के माध्यम से लगभग 20% नाइट्रोजन का मनुष्यों द्वारा उपभोग किया जाता है।

जब नाइट्रोजन पर्यावरण में निर्मुक्त होकर पहुँचती है, और अन्य कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करती है तो यह प्रदूषक में परिवर्तित हो जाती है। प्रदूषक के तौर पर नाइट्रोजन, या तो वायुमंडल में विमोचित की जाती है, नदियों, झीलों या भूजल आदि जल स्रोतों में घुल जाती है, या मृदा में बनी रहती है।

नाइट्रोजन प्रदूषण का पर्यावरण पर प्रभाव:

यह जलमार्गों और महासागरों में हानिकारक शैवाल के पैदा होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; ये शैवाल ल विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो मानव और जलीय जीवों के लिए हानिकारक होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन और जैव विविधता को प्रभावित करते हैं।

पेय-जल संदूषण: यूरोप में 10 मिलियन लोग संभावित रूप से, नाइट्रेट सांद्रता के अनुशंसित स्तर से अधिक मात्रा वाले, पेय-जल के संपर्क में रहते हैं। इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

खाद्य सुरक्षा: नाइट्रोजन उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी आती है। चूंकि दुनिया को लगातार बढ़ती आबादी के लिए अधिक मात्रा में खाद्यान्नों की जरूरत है, अतः कृषि योग्य भूमि का नुकसान एक प्रमुख वैश्विक समस्या है।

नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीनहाउस गैस है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

चीन के 'कृत्रिम सूर्य' प्रायोगिक संलयन रिएक्टर द्वारा एक नया विश्व रिकॉर्ड

संदर्भ:

चीन के 'प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक' (Experimental Advanced Superconducting Tokamak- EAST) द्वारा एक नवीनतम प्रयोग के दौरान एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमे उसने 101 सेकंड की अवधि तक 216 मिलियन फ़ारेनहाइट (120 मिलियन डिग्री सेल्सियस) का प्लाज्मा तापमान पैदा करने में सफलता हासिल की।

इस 'प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक' (EAST) को 'कृत्रिम सूर्य' (Artificial Sun) भी कहा जाता है।

इस उपलब्धि का महत्व:

ऐसा माना जाता है, कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और इस उपलब्धि का मतलब है, कि EAST द्वारा पैदा

किया गया तापमान 'सूर्य के तापमान से लगभग सात गुना अधिक' है।

यह, न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादों सहित स्वच्छ और असीमित ऊर्जा उत्पादित करने हेतु चीन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है।

'EAST' क्या है?

'प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक' (EAST) मिशन में 'सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया' की नकल की जा रही है।

'प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक' रिएक्टर, एक 'उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण' (Advanced Nuclear Fusion Experimental Research Device) है और चीन के हेफ़ेई (Hefei) में स्थित है।

यह वर्तमान में देश भर में कार्यरत तीन प्रमुख स्वदेशी टोकामक में से एक है।

EAST परियोजना 'अंतर्राष्ट्रीय ताप-नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर' (International Thermonuclear Experimental Reactor-ITER) कार्यक्रम का हिस्सा है। इस आईटीईआर सुविधा का परिचालन वर्ष 2035 आरंभ होगा, इसके बाद यह विश्व का सबसे बड़ा 'परमाणु संलयन रिएक्टर' बन जाएगी।

आईटीईआर परियोजना में भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों द्वारा योगदान किया जा रहा है।

'कृत्रिम सूर्य' EAST किस प्रकार कार्य करता है?

यह 'प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक' अर्थात EAST, सूर्य एवं तारों द्वारा में हो रही 'परमाणु संलयन प्रक्रिया' (Nuclear Fusion Process) का अनुकरण करता है।

परमाणु संलयन हेतु, हाइड्रोजन परमाणुओं पर अत्यधिक ताप और दाब प्रयुक्त किया जाता है, ताकि वे पिघलकर परस्पर संलयित हो जाएं।

हाइड्रोजन में पाए जाने वाले 'ड्यूटेरियम और ट्रिटियम' नाभिक, परस्पर संलयित होकर भारी हीलियम नाभिकों का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन अणुओं सहित भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती हैं।

इसमें, ईंधन को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान तक गर्म किया जाता है, जिससे 'अपरमाणविक अणुओं' (Subatomic Particles) का एक गर्म प्लाज्मा "सूप" निर्मित होता है।

एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की मदद से, प्लाज्मा को रिएक्टर की दीवारों से दूर रखा जाता है, क्योंकि रिएक्टर की सतह के संपर्क में आने से 'प्लाज्मा' के ठंडा होने तथा बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता खोने की आशंका होती है।

संलयन अभिक्रिया होने के लिए प्लाज्मा को लंबी अवधि तक परिरुद्ध किया जाता है।

संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया से बेहतर क्यों होती है?

हालांकि, किसी नाभिक का विखंडन (fission) करना एक आसान प्रक्रिया होती है, किंतु इसमें काफी अधिक मात्रा में परमाणु अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं।

विखंडन प्रक्रिया की भांति, संलयन (Fusion) प्रक्रिया में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है और इसमें दुर्घटनाओं का जोखिम होता है तथा इसे एक सुरक्षित प्रक्रिया माना जाता है।

CAREER PLUS

संलयन प्रक्रिया पर एक बार नियंत्रण हासिल करने के बाद, परमाणु संलयन से बहुत कम लागत पर संभवतः असीमित स्वच्छ ऊर्जा हासिल की सकती है।

अन्य किन देशों द्वारा यह उपलब्धि हासिल की चुकी है?

उच्च प्लाज्मा तापमान हासिल करने वाला चीन अकेला देश नहीं है। वर्ष 2020 में, दक्षिण कोरिया के KSTAR रिएक्टर ने 20 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक प्लाज्मा तापमान हासिल करते रखते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया था।

महामारी के दौरान, पहली बार लागू किया जाने वाला विशिष्ट डीएम एक्ट 2005

संदर्भ:

हाल ही में, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 (Disaster Management (DM) Act), 2005 की धारा 51 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी गया है। इस धारा के तहत आरोप साबित होने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद अस्तित्व में आया था।

संबंधित प्रकरण:

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव, 28 मई को पश्चिम बंगाल में चक्रवात प्रभावित कलाईकुंडा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इस तरह इन्होंने केंद्र सरकार के वैध निर्देशों का पालन करने से इनकार करने के समान कार्य किया और इस प्रकार इन्होंने क़ानून की धारा 51 (b) उल्लंघन किया।

आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 की धारा 51:

अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरण की ओर से दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करने पर इस धारा के द्वारा "व्यवधान पहुचाने के लिए दंड" निर्धारित किया गया है।

इसमें कहा गया है,कि उल्लंघन का दोष-सिद्ध होंने पर, एक वर्ष अवधि तक का कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।

इसमें कहा गया है कि यदि "निर्देशों का पालन करने से इनकार करने से जानमाल की हानि होती है या कोई खतरा आसन्न होता है, तो दोषसिद्धि पर दो साल तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है"।

इस धारा का हालिया उपयोग:

इस धारा के तहत, विशेष प्रावधान के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा पिछले साल अप्रैल में सार्वजनिक रूप से थूकना दंडनीय अपराध बना दिया गया था।

"सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य" कर दिया गया।

30 मार्च, 2020 को, देशव्यापी तालाबंदी की अचानक घोषणा के बाद, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हजारों प्रवासी एकत्र हुए थे, इसके लिए दिल्ली सरकार के दो अधिकारियों को कर्तव्यों की अवहेलना के आरोप में निलंबित कर

CAREER PLUS

दिया गया और दो अन्य अधिकारियों को केंद्र द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

1921 का टुल्सा नस्लीय नरसंहार

वर्ष 1921 के मई-जून ने हुआ टुल्सा नस्लीय नरसंहार, (Tulsa Race Massacre), अमेरिका के आधुनिक इतिहास में हिंसक नस्लीय घृणा संबंधी सबसे ख़राब घटनाओं में से एक है।

इस नस्लीय नरसंहार में ओक्लाहोमा राज्य के टुल्सा में, श्वेत नस्ल की भीड़ द्वारा अपेक्षाकृत समृद्ध अफ्रीकी-अमेरिकियों लक्षित करके बड़े पैमाने पर हत्याएं की गयीं तथा इनकी संपत्ति को व्यापक क्षति पहुंचाई गयी थी।

टुल्सा को अमेरिका में 'सिविल राइट्स' लागू होने से पहले 'जिम क्रो' कानूनों या बेहद कठोर पृथक्करण कानूनों की वजह से पीड़ित अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए एक 'अनौपचारिक अभयारण्य- शहर' माना जाता था। इस शहर को अमेरिका का "ब्लैक वॉल स्ट्रीट" भी कहा जाता था।

चर्चा का कारण:

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, हाल ही में इस घटना को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बने।

H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन

संदर्भ:

हाल ही में, चीन में 'H10N3 बर्ड फ्लू' स्ट्रेन (H10N3 bird flu strain) से मनुष्य के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला दर्ज किया गया है।

'H10N3 बर्ड फ्लू' के बारे में:

H10N3 एक प्रकार का 'बर्ड फ्लू' या पक्षियों में होने वाला फ्लू (एवियन फ्लू) है। दुनिया भर के जंगली जलीय पक्षियों में ये बीमारियां आमतौर पर पाई जाती हैं और ये घरेलू कुक्कुट प्रजातियों और अन्य पक्षी एवं पशु प्रजातियों को संक्रमित कर सकती हैं।

प्रसार और संचरण:

एवियन फ्लू का वायरस, संक्रमित पक्षियों की लार (Saliva), बलगम (Mucus) और मल (Poop) से फैलता है, और जब यह वायरस पर्याप्त मात्रा में मनुष्य की आँखों, नाक या मुंह में चला जाता है, या इन संक्रमित पदार्थों के श्वसन-प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति के भीतर पहुँचने पर मनुष्य संक्रमित हो सकते हैं।

चिंता का कारण:

स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रकोप संबंधी आशंका को नकारते हुए कहा गया है, कि उक्त मामला पोल्ट्री से मनुष्यों में वायरस का एक छिटपुट संचरण था, और इससे महामारी फैलने का जोखिम बहुत कम है।

H10N3, पोल्ट्री पक्षियों में पाए जाने वाले वायरस का एक निम्न रोगजनक या अपेक्षाकृत कम गंभीर प्रकार है, और इसके बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम बहुत कम है।

मनुष्यों में H10N3 के प्रसार को फैलने से रोकने संबंधी उपाय:

व्यक्तियों के लिए बीमार या मृत घरेलू पक्षियों के संपर्क में आने से बचना चाहिए और जितना हो

CAREER PLUS

सके जीवित पक्षियों के भी सीधे संपर्क से बचना चाहिए।

लोगों को इस समय खाने की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए।

लोगों को मास्क पहनना चाहिए और आत्म-सुरक्षा हेतु जागरूक रहना चाहिए, साथ ही बुखार और श्वसन संबंधी लक्षणों की लगातार निगरानी करते रहना चाहिए।

बर्ड फ्लू के विभिन्न प्रकार (Strains):

चीन में जानवरों में बर्ड फ्लू के कई स्ट्रेन पाए गए हैं किंतु मनुष्यों में बड़े पैमाने पर अभी तक इसका कोई प्रकोप नहीं फैला है।

चीन में बर्ड फ्लू के कारण आखिरी मानव महामारी वर्ष 2016-2017 के दौरान H7N9 वायरस से फ़ैली थी।

H5N8, 'इन्फ्लुएंजा ए' वायरस (जिसे बर्ड फ्लू वायरस के रूप में भी जाना जाता है) का एक उपप्रकार है। H5N8, हालांकि मनुष्यों के लिए कम खतरनाक है, किंतु यह जंगली पक्षियों और घरेलू पक्षियों के लिए अत्यधिक घातक है।

अप्रैल में, पूर्वोत्तर चीन के शेनयांग शहर में, जंगली पक्षियों में अत्यधिक रोगजनक H5N6 एवियन फ्लू संक्रमण पाया गया था।

वर्गीकरण: 'इन्फ्लूएंजा ए' वायरस को दो प्रकार के प्रोटीन हेमाग्लगुटिनिन (Hemagglutinin- HA) और न्यूरोमिनिडेस (Neuraminidase- NA) के आधार पर उप-प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, जिस वायरस में HA 7 प्रोटीन और NA 9 प्रोटीन पाया जाता है, उसे 'H7N9' सबटाइप / उपप्रकार कहा जाता है।

'17+1' पहल क्या है?

'17+1' पहल (17+1 initiative), चीन के नेतृत्व में गठित एक प्रारूप है जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में बुडापेस्ट में की गई थी।

इसका उद्देश्य 'मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय' (Central and Eastern European– CEE) क्षेत्र के विकास हेतु निवेश और व्यापार के लिए 'मध्य एवं पूर्वी यूरोप' के सदस्य देशों तथा बीजिंग के मध्य सहयोग का विस्तार करना था।

ढांचा सदस्य राज्यों में पुलों, मोटरमार्गों, रेलवे लाइनों और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

इस पहल से चीन का लाभ: - चीन के अनुसार, 17+1 पहल, पश्चिमी यूरोपीय राज्यों की तुलना में कम विकसित यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों का सुधार करने लिए शुरू की गई है।

हालांकि, इस मंच को व्यापक तौर पर चीन की प्रमुख 'बेल्ट एंड रोड पहल' (BRI) के विस्तार के रूप में देखा जाता है।

'17+1' पहल का गठन: इस पहल में यूरोपीय संघ के बारह सदस्य देश और पांच बाल्कन राष्ट्र- अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया- शामिल हैं।

'देशद्रोह' (Sedition) क्या होता है?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के अनुसार, "किसी भी व्यक्ति के द्वारा, शब्दों द्वारा, लिखित अथवा बोलने के माध्यम से, अथवा संकेतों द्वारा, या दृश्य- प्रदर्शन द्वारा, या किसी अन्य तरीके से, विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ, घृणा या अवमानना दिखाने, उत्तेजित

CAREER PLUS

होने अथवा उत्तेजना भड़काने का प्रयास करने पर उसे, आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना, या तीन साल तक की कैद और साथ में जुर्माना, या मात्र जुर्माने का दंड दिया जा सकता है।

एक यथोचित परिभाषा की आवश्यकता:

देशद्रोह कानून लंबे समय से विवादों में रहा है। अक्सर सरकारों के 'भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-A' कानून का उपयोग करने पर, उनकी नीतियों के मुखर आलोचकों द्वारा आलोचना की जाती है।

इसलिए, इस धारा को व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिबंध के रूप में देखा जाता है, और एक प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले उचित प्रतिबंधों संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत आती है।

इस क़ानून को औपनिवेशिक ब्रिटिश शासकों द्वारा 1860 के दशक में लागू किया गया था, उस समय से लेकर आज तक यह क़ानून बहस का विषय रहा है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित स्वतंत्रता आंदोलन के कई शीर्ष नेताओं पर राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज किए गए थे।

महात्मा गांधी द्वारा इस क़ानून को "नागरिक की स्वतंत्रता का हनन करने हेतु तैयार की गई भारतीय दंड संहिता की राजनीतिक धाराओं का राजकुमार" बताया था।

नेहरू ने इस कानून को "अत्यधिक आपत्तिजनक और निंदनीय" बताते हुए कहा, कि "हमारे द्वारा पारित किसी भी कानूनों प्रावधानों में इसे कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए" और "जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पा लें उतना अच्छा है।"

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के प्रासंगिक फैसले:

केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामला (1962):

आईपीसी की धारा 124A के तहत अपराधों से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान, उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले (1962) में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए थे।

अदालत ने फैसला सुनाया था, कि सरकार के कार्यों की चाहें कितने भी कड़े शब्दों में नापसंदगी व्यक्त की जाए, यदि उसकी वजह से हिंसक कृत्यों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होती है, तो उसे दंडनीय नहीं माना जाएगा।

बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) मामला: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था, कि केवल नारे लगाना, इस मामले में जैसे कि 'खालिस्तान जिंदाबाद', देशद्रोह नहीं है।

जाहिर है, देशद्रोह कानून को गलत तरीके से समझा जा रहा है और असहमति को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

30 जनवरी को 'विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस' घोषित करने का प्रस्ताव

विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) के 74 वें सत्र में, सभी प्रतिनिधियों द्वारा 'संयुक्त अरब अमीरात' द्वारा 30 जनवरी को 'विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (World Neglected Tropical Diseases– NTD) दिवस' के रूप में घोषित करने हेतु प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है।

'उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों' के बारे में:

'उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग' (Neglected Tropical Diseases- NTD), अफ्रीका, एशिया

और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में पाए जाने वाले आम संक्रमण होते है।

ये रोग, विभिन्न प्रकार के रोगजनकों जैसेकि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कृमियों के कारण फैलते हैं।

इन रोगों के लिए, आमतौर पर तपेदिक, एचआईवी-एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में अनुसंधान और उपचार के लिए काफी कम व्यय किया जाता है।

सर्पदंश, खाज-खुजली, याज़ (Yaws), ट्रेकोमा (Trachoma), काला-अज़ार (Leishmaniasis), चागास (Chagas) आदि, 'उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों' (NTDs) के कुछ उदहारण हैं।

'उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों' के उन्मूलन हेतु तीन रणनीतिक बदलावों का आह्वान करने वाला WHO का वर्ष 2021-2030 के लिए नया रोड मैप:

प्रक्रिया को मापने की बजाय प्रभाव को मापा जाएगा।

रोग-विशिष्ट योजना और प्रोग्रामिंग के स्थान पर सभी क्षेत्रों में सहयोगात्मक कार्य तक शुरू किया जाएगा।

बाह्य रूप से संचालित एजेंडा के स्थान पर देश के स्वामित्व में और देश द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी।

'विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस' के लिए '30 जनवरी' को चुनने का कारण:

इस दिन, 30 जनवरी, 2012 को 'उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों' पर 'लंदन घोषणा' लागू की गई थी।

अनौपचारिक रूप से, पहला 'विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस' वर्ष 2020 में मनाया गया था।

'उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों' पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है?

'उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों' (NTDs) से वैश्विक स्तर पर एक अरब से अधिक लोग प्रभावित होते हैं। हालाँकि ये बीमारियाँ रोकथाम-योग्य और उपचार-योग्य होती हैं, फिर भी, गरीबी और पारिस्थितिक तंत्र के साथ अपने जटिल अंतर्संबंधों की वजह से, ये बीमारियाँ विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों का कारण बनी हुई हैं।

इन बीमारियों का प्रसरण:

दूषित पानी, वास-स्थानों की दयनीय स्थिति और स्वच्छता का अभाव, इन बीमारियों के फैलने का प्रमुख कारण होते हैं।

बच्चे, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों के सबसे अधिक शिकार होते हैं, तथा ये बीमारियाँ प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता का कारण बनती हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को अक्सर जीवन भर शारीरिक पीड़ा और सामाजिक कलंक झेलना पड़ता है।

भारत में उपेक्षित बीमारियों पर अनुसंधान हेतु नीतियां:

CAREER PLUS

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) में स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है और सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों तक सस्ती नई दवाईयों की पहुँच सुनिश्चित करती है, लेकिन इसमें विशेष रूप से उपेक्षित बीमारियों से निपटने का प्रावधान नहीं किया गया है।

दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु राष्ट्रीय नीति (2018) में संक्रामक उष्णकटिबंधीय बीमारीयों को शामिल किया गया हैं तथा इसमें दुर्लभ बीमारियों के उपचार पर अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। किंतु, इस नीति के तहत अनुसंधान वित्तपोषण हेतु अभी तक रोगों और क्षेत्रों की प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गयी है।